‘एकमुश्त समाधान योजना’ (ओटीएस) का शुभारंभ हुआ

चर्चा में क्यों?

8 नवंबर, 2023 को उत्तर प्रदेश के ऊरजा मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ के कैंट उपकेंद्र पर पावर कॉर्पोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का शुभारंभ कयिा। यह योजना 31 दसिंबर, 2023 तक तीन चरणों में लागू की जाएगी।

प्रमुख बदिु

- ऊरजा मंत्री एके शर्मा ने कैंट उपकेंद्र पर ब्याज माफी के लयि पहला पंजीकरण कराने वाली छावनी क्षेत्र नविासी मीरा को छूट का लाभ देकर बजिली बलि सौंपा।
- ‘एकमुश्त समाधान योजना’के तहत राज्य सरकार ने बजिली चोरी करते पकड़े गए लोगों को सहूलयित दी है। उनके बलि पर ब्याज व जुर्माने में 65 फीसदी की छूट दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ता महज 35 फीसदी जुर्माना भर कर कानूनी कार्रवाई से मुक्त हो सकते हैं।
- इस योजना का पहला चरण 8 से 30 नबंबर तक, दूसरा चरण 1 दसिंबर से 15 दसिंबर तक और तीसरा चरण 16 दसिंबर से 31 दसिंबर तक चलेगा।
- इस योजना के तहत 50 से 100 फीसदी तक छूट मलिेगी। यह शत प्रतशित छूट एक कलिोवाट वाले उपभोक्ताओं को मलिेगी।
- बजिली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबति मामले में भी समाधान योजना में शामलि कयिा जा सकेगा।
- योजना में एक कलिोवाट से अधकि भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ कशि्तों में भुगतान के दो वकिल्प दयि गये हैं।
    - 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूरण भुगतान पर 90 प्रतशित की छूट, तीन कशि्तों में भुगतान पर 80 प्रतशित की छूट तथा छह कशि्तों में भुगतान पर 70 प्रतशित की छूट मलिेगी।
    - एक से 15 दसिंबर तक पूरण भुगतान पर 80 प्रतशित की छूट, तीन कशि्तों में भुगतान पर 70 प्रतशित तथा छह कशि्तों में भुगतान पर 60 प्रतशित की छूट,
    - 16 दसिंबर के बाद पूरण भुगतान पर 70 प्रतशित की छूट, तीन कशि्तों में भुगतान पर 60 प्रतशित तथा छह कशि्तों में भुगतान पर 50 प्रतशित की छूट मलिेगी।
- तीन कलिोवाट भार तक के वाणज्यिकि उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूरण भुगतान पर 80 प्रतशित तथा तीन कशि्तों में भुगतान पर 70 प्रतशित की छूट मलिेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों वकिल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतशित कम की छूट मलिेगी।
- तीन कलिोवाट से अधकि के भार वाले वाणज्यिकि उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूरण भुगतान पर 60 प्रतशित तथा तीन कशि्तों में भुगतान पर 50 प्रतशित की छूट मलिेगी।
- नजिी वाणज्यिकि संस्थानों और औद्योगकि उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक अपने बकाये के पूरण भुगतान पर 50 प्रतशित तथा तीन कशि्तों में भुगतान पर 40 प्रतशित की छूट मलिेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों वकिल्पों में भुगतान पर क्रमश: 10 प्रतशित कम की छूट मलिेगी।
- नजिी नलकूप के उपभोक्ताओं को उनके 31 मार्च, 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्तूबर, 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट दी जाएगी।

[//](https://www.drishtiias.com/hindi/images/uploads/1653473066_One_Time_Settlement.jpg)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/one-time-settlement-scheme-ots